भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1150

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 नवम्बर, 2014/7 अग्रहायण, 1936 (शक) को दिया गया)

<u>कंपनी अधिनियम में आमूलचूल परिवर्तन</u>

1150. श्री बी. श्रीरामुलु :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कंपनी अधिनियम, 2013 के आमूलचूल परिवर्तन करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार निदेशकों की भूमिका तथा कंपनी बोर्ड द्वारा किए गए निर्णयों पर उनके उत्तरदायित्व की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) और (ख) : कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के आधे से कुछ अधिक उपबंध 01.04.2014 से प्रवृत्त हुए। इसके पश्चात्, वाणिज्य मंडलों और व्यवसायिक संस्थानों आदि से कई पत्र कारपोरेट कार्य मंत्रालय में प्राप्त हुए जिनमें इन उपबंधों से संबंधित कतिपय व्यवहारिक कठिनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया अथवा उनके संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। इस विषयों पर 21.06.2014 को हितधारकों के साथ एक परस्पर विचार-विमर्श सत्र का आयोजन भी किया गया था। सरकार ने इस विचार-विमर्श सत्र के अनुसार संक्रमण समय देने, शंकाओं या व्यावहारिक कठिनाइयों के समाधान के लिए उपयुक्त परिपत्र, सांविधिक आदेश जारी किए हैं और नियमों में संशोधन किए हैं। मंत्रालय उन मुद्दों का समाधान करने, जिनके लिए अधिनियम में संशोधन अपेक्षित हो सकता है, अंतर्मंत्रालयी विचार-विमर्श कर रहा है।

(ग) और (घ) : कंपनी द्वारा लिए गए निर्णय के लिए निदेशकों की भूमिका और जिम्मेदारी की समीक्षा करने से संबंधित कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

*****